

आदेश

विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों में सृजित विभिन्न कोटि के शिक्षकों के रिक्त पदों पर अनुबन्ध के आधार पर मार्च 2013 तक कार्यरत रहे 21 शिक्षकों को संलग्न विवरणी के अनुसार एकरारनामा की तिथि से एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो पहले हो, तक के लिए विहित संलग्न प्रपत्र में एकरारनामा निष्पादित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त एकरारनामा संबंधित संस्थान के प्राचार्य/ प्रभारी प्राचार्य/ विशेष कार्य पदाधिकारी एवं चयनित अभ्यर्थियों के बीच निष्पादित की जायेगी।

2. अनुबन्ध निष्पादित करने से पूर्व संबंधित प्राचार्य अभ्यर्थियों द्वारा धारित अर्हता की जाँच कर लेंगे। साथ ही यह भी जाँच कर लेंगे कि संबंधित अभ्यर्थी 64 वर्ष की अधिकतम निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत हो।

3. विभागीय आदेश सं०-657 दिनांक 07.03.2012 द्वारा संविदा के आधार पर निर्धारित पारिश्रमिक दर से भुगतान किया जायेगा।

4. उक्त 21 शिक्षकों की अर्हताएँ अभातशिप की नवीनतम निर्धारित अर्हताओं से कम है, इसलिए संविदा के नवीकरण के पश्चात् की अवधि के अनुभव के आधार पर किसी प्रकार की अधिमानता विभाग के अधीन भविष्य में होने वाली नियमित नियुक्ति के लिए अनुमान्य नहीं होगी।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक :- 1. चयनित अभ्यर्थियों की सूची

2. एकरारनामा हेतु प्रपत्र

ह०/—
निदेशक

ज्ञापांक : वि.प्रा.(I)व²-06/2013

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

निदेशक

ज्ञापांक : वि.प्रा.(I)व²-06/2013

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, भागलपुर/ मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

निदेशक

ज्ञापांक : वि.प्रा.(I)व²-06/2013

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : प्रभारी प्राचार्य/ एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर/ बी.सी.ई. भागलपुर एवं संबंधित संविदा शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

निदेशक

ज्ञापांक : वि.प्रा.(I)व²-06/2013

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि : उप निदेशक(यो0)/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ बजट सहायक/ योजना सहायक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

निदेशक

ज्ञापांक : वि.प्रा.(I)व²-06/2013

3130 पटना, दिनांक 21-11-13

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री/प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव एवं वरीय निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

21/11/13

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अभियंत्रण महाविद्यालयों में अनुबन्ध के आधार पर मार्च 2013 तक कार्यरत 21 शिक्षकों की सूची जिनके साथ एकरारनामा की तिथि से एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, संविदा निष्पादित करना है :-

क्रमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापित संस्थान का नाम	अभ्युक्ति
1	श्री शशांक शेखर	सहायक प्राध्यापक, विद्युत	बी.सी.ई. भागलपुर	
2	श्री योगन्द्र प्रसाद मंडल	सहायक प्राध्यापक, यांत्रिकी	बी.सी.ई. भागलपुर	
3	श्री मनीष कुमार	सहायक प्राध्यापक, आई.टी.	बी.सी.ई. भागलपुर	
4	श्री संजीव कुमार	सहायक प्राध्यापक, ई.सी.ई.	बी.सी.ई. भागलपुर	
5	श्री आशिक मोईन	सहायक प्राध्यापक, ई.सी.ई.	बी.सी.ई. भागलपुर	
6	श्री चिन्तामणी मंडल	सहायक प्राध्यापक, सी.एस.ई.	बी.सी.ई. भागलपुर	
7	श्री शंभु कुमार	सहायक प्राध्यापक, सी.एस.ई.	बी.सी.ई. भागलपुर	
8	श्री आलोक कुमार	सहायक प्राध्यापक, सी.एस.ई.	बी.सी.ई. भागलपुर	
9	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	सहायक प्राध्यापक, यांत्रिकी	एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर	
10	श्री रविन्द्र प्रकाश किरण	सहायक प्राध्यापक, यांत्रिकी	एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर	
11	श्री जगदीश कुमार	सहायक प्राध्यापक, विद्युत	एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर	
12	श्री राज राजीव कान्त	सहायक प्राध्यापक, विद्युत	एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर	नालन्दा अभि. महा. चण्डी में प्रतिनियुक्त
13	श्री रविकान्त झा	सहायक प्राध्यापक, असैनिक	एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर	
14	श्री विमलेश विभूति रंजन	सहायक प्राध्यापक, असैनिक	एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर	
15	श्री राजीव रंजन	सहायक प्राध्यापक, आई.टी.	एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर	
16	श्री श्वेतांसु शेखर	सहायक प्राध्यापक, आई.टी.	एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर	
17	श्री मनोरंजन कुमार सिन्हा	सहायक प्राध्यापक, ई.सी.ई.	एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर	
18	श्री राजीव देव रंजन	सहायक प्राध्यापक, ई.सी.ई.	एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर	
19	श्री तारिक रशीद	सहायक प्राध्यापक, ई.सी.ई.	एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर	
20	श्री राजीव रंजन कुमार	सहायक प्राध्यापक, ई.सी.ई.	एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर	
21	श्री संतोष कुमार	सहायक प्राध्यापक, सी.एस.ई.	एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर	

निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

संविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा

यह एकरारनामा विभाग, बिहार सरकार, पटना एवं
चयनित/नियोजित होने वाले श्री के बीच निम्नलिखित शर्तों
के साथ की जा रही है :-

1. यह नियोजन केवल (पद का नाम) के लिए किया जायेगा।
2. यह नियोजन संविदा के आधार पर नियमित नियुक्ति होने तक अथवा केवल एक वर्ष तक के लिए (जो भी पहले हो) किया जायेगा।
3. संविदा की अवधि की समाप्ति पर ऐसा नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इस कार्य हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
4. संविदा के आधार पर नियोजित श्री को रु० (..... रुपये) एकमुष्ट पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
5. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
6. इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
7. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
8. संविदा पर नियोजन के उपरान्त नियोजित स्थान हेतु अपने इच्छानुसार आवेदक दो विकल्प दे सकते हैं परन्तु किसी भी स्थान पर नियोजन का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
9. नियोजन पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
10. इस प्रकार का नियोजन संविदा अवधि (Contract Period) की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों में से किसी एक के द्वारा एक माह की सूचना देकर या एक माह की संविदा राशि का एकमुष्ट भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।
11. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपर्युक्त शर्तें मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति उपर्युक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

(.....) (.....)

..... विभाग, बिहार, पटना

नियोजित व्यक्ति